

कार्यालय अधिषंशी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, शाहबाद

RRSMP योजना के तहत ख्यावदा से हरिपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 0.99 हेक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वैब पोर्टल OSMFCP पर प्रस्ताव संख्या **FP/RJ/ROAD/6992/2014** को इस खण्ड के द्वारा प्रस्ताव को रजिस्टर किया गया था। जिसे आपके द्वारा प्रस्ताव में आक्षेप लगाकर लौटा दिया गया था। उक्त प्रस्ताव की कमियों को निम्नानुसार दुरस्त कराकर उन्हें पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. प्रस्ताव के पार्ट-I के बिन्दु सं. A-1 (viii) में परियोजना हेतु चाही गयी 2.00 हेक्टर वन भूमि का उल्लेख कर दिया गया है एवं 2.00 कि.मी. लम्बाई में 10 मी. चौड़ाई से सही गणना करते हुए 2.00 हेक्टर वन भूमि की आवश्यकताका उल्लेख किया गया है।

2. इस विभाग के द्वारा पुर्व मे जिन परियोजनाओं का वनभूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तुत किया गया था उनका हवाला प्रस्ताव के पार्ट-I के बिन्दु सं. I-2(xiii) एवं B-1(i) में “Yes” अंकित कर दुरस्त कर दिया गया है, बिन्दु सं. I-3(xvii) पर मुख्य अभि. सार्वजनिक विभाग के पत्र कमांक कैम्प-झालावाड़ दिनांक 4.9.2014 की प्रति को अपलोड किया गया है चुंकि उक्त सभी 25 परियोजनाएँ इसी खण्ड से सम्बन्धित है एवं अधिषंशी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद के कार्य क्षेत्र मे ही स्थित है। अतः श्रीमान् मुख्य अभियन्ता सा.नि.वि. जयपुर के द्वारा उक्त पत्र के जरिये अधिकृत कर दिया गया था। बिन्दु संख्या A-2(xiii) एवं B-1(i) मे सम्पूर्ण विवरण दे दिया गया है।

3. प्रस्ताव के पार्ट-I के बिन्दु सं. B-2 में दी गई सारिणियों में वन भूमि एवं गैर वन भूमि में परियोजना की कियान्विति से संबंधित समस्त सूचनाओं का विवरण सारणी मे दर्शा दिया गया है।

4. बिन्दु सं. B-2.3 में दी गई सारिणी में प्रस्तावित सड़क निर्माण हेतु ग्राम वार प्रभावित वन भूमि एवं गैर वन भूमि के विवरण सारणी मे उचित रूप से दर्शा दिया गया है।

5. प्रस्ताव के पार्ट-I के बिन्दु सं. C-ii(b) के क्रम मे अपलोड की गई kml फाईल मे सम्पूर्ण परियोजना के तहत निर्मित की जाने वाली सड़क के मार्ग का एलान्सेन्ट एवं वांछित वन क्षेत्र एवं उसके आस-पास की वन भूमि/सीमा को स्पष्टतः दर्शा दिया गया है। परियोजना का आरम्भ एवं खत्म होने का स्थान भी kml फाईल मे स्पष्ट रूप से दर्शा दिया गया है। सड़क का एलाइन्सेन्ट एवं अन्य परियोजना का एलाइन्सेट एवं प्रभावित वन क्षेत्र की सीमा को भी kml फाईल मे भली भांति दर्शा दिया गया है।

6. प्रस्ताव के पार्ट-I के बिन्दु सं. C-(iii) के क्रम मे 1:50000 पैमाने की जी.टी. शीट मे उक्त सड़क के संबंध में वन सीमा एवं सड़क मार्ग का एलान्सेन्ट उचित रूप से मार्क कर दिया गया है।

7. प्रस्ताव के पार्ट-I के बिन्दु सं. C-(iv) के क्रम मे अक्षांश एवं देशातंर को दर्शाता हुआ भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानवित्र जिसको Total Station से तैयार किया गया है। तथा जिसमें प्रस्तावित सड़क के सम्पूर्ण मार्ग को वन भूमि/सीमा सहित मय पूर्ण संकेतक मार्क कर दिया गया है, को विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर अपलोड कर दिया गया है।

8. प्रस्ताव के पार्ट-I के बिन्दु सं. K-(i) में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत सम्पूर्ण प्रक्रिया के सम्पन्न किये जाने के क्रम मे “Yes” अंकित कर दिया गया है इस क्रम मे भारत सरकार के परिपत्र 11-9 / 1998-एफ.सी. (Pt) दिनांक 3.8.09 एवं दिनांक 5.7.2013 द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र मे अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) 2006 के तहत जिला कलक्टरों द्वारा जारी वांछित प्रमाण पत्रों एवं आवश्यक संलग्नकों को अपलोड कर दिया गया है।

9. वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु भारत सरकार द्वारा चाही गयी शर्तानुसार इस विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, नैट प्रैजेन्ट वैल्यु एवं अधिरोपित शर्तानुसार अन्य राशियां को भी जमा कराया जाना है। इस क्रम मे चाहे गये शपथ पत्र (Undertakings) को विभाग के सक्षम अधिकारी से प्रमाणित कर अपलोड करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त परियोजना की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियां, प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृत परियोजना रिपोर्ट, वन क्षेत्र मे सड़क निर्माण की लम्बाई व चौड़ाई का खसरा-वार पूर्ण विवरण, वांछित न्यूनतम वन भूमि की आवश्यकता का प्रमाण पत्र, बार चार्ट जिसमे परियोजना से प्रभावित वन भूमि एवं गैर वन भूमि को अलग-अलग रंगों मे मय संकेतक दर्शाया गया है एवं परियोजना से संबंधित अन्य जानकारियां जो वन भूमि प्रत्यावर्तन मे सहायक है को भी अपलोड कर दिया गया है।



अधिषंशी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड शाहबाद